



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271993
CG-DL-E-22042026-271993

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1937]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1937]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2010(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1976 तारीख 01/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में रा.रा. मार्ग संख्या 43-एक्सटेंशन गुलगंज - अमानगंज- पवई- कटनी मार्ग(किमी. 0.00 से 163.85 तक) के भूखण्ड प्रस्तावित किमी. 108+00 से प्रस्तावित किमी. 119+650 तक अतिरिक्त एवं छूटे हुए खसरो के लिए तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07/07/2025 को "पत्रिका सागर", 07/07/2025 को "दैनिक भास्कर सतना" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में रा.रा. मार्ग सख्या 43-एक्सटेंशन गुलगंज - अमानगंज- पवई- कटनी मार्ग(किमी. 0.00 से 163.85 तक) के भूखण्ड प्रस्तावित किमी. 108+00 से प्रस्तावित किमी. 119+650 तक अतिरिक्त एवं छूटे हुए खसरों के लिए तकके लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: पन्ना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पवई					
गांव का नाम: पवई					
1	5738	सरकारी	असिंचित	1.145	शासकीय
2	6007/1	निजी	असिंचित	0.0035	गंगाराम पिता जोहरिया चमार
3	6007/2	निजी	असिंचित	0.0037	शंभू पिता जोहरिया चमार
4	6007/3	निजी	असिंचित	0.0037	सीताराम पिता जोहरिया चमार
5	6008	निजी	असिंचित	0.013	राघवेंद्र राज पिता राकेश कुमार मोदी
6	6011	निजी	असिंचित	0.0038	विनोद पिता रामचंद्र जैन
7	6012	सरकारी	असिंचित	0.019	शासकीय
8	6031/1/1	निजी	असिंचित	0.0076	ध्रुव बागरी पुत्रा प्रकाश चंद्र बागरी
9	6031/1/2	निजी	असिंचित	0.002	घसोटी पिता सुधरा कोरी

10	6031/2/1	निजी	असिंचित	0.005	वर्षा पत्नी प्रकाश चंद्र बागरी
11	6031/2/2	निजी	असिंचित	0.0006	गायत्री पत्नी राकेश कुमार श्रीवास्तव
12	6031/3/1	निजी	असिंचित	0.0044	घसोटी पिता सूधरा कोरी
13	6031/3/2	निजी	असिंचित	0.0004	सुमित पिता मकुंदी चौरसिया
14	6032/1/1/2/1	निजी	असिंचित	0.005	कल्लू लाल पिता चंद्रलाल कांछी
15	6032/1/1/2/2	निजी	असिंचित	0.003	सियाराम पिता श्रीरामलाल बढई
16	6032/1/2/1/2	निजी	असिंचित	0.0045	अजय कुमार पुत्र गिरधारी श्रीवास्तव
17	6032/1/2/2	निजी	असिंचित	0.004	बिहारी पुत्रा दरवारी लाल विश्वकर्मा
18	6032/1/3/2	निजी	असिंचित	0.0045	इंजा बेगम पत्नी कल्लू खान
19	6033/1/1/1/1/1	निजी	असिंचित	0.01	नीलम सिंह, भारती सिंह पुत्री गन्धर्व सिंह
20	6033/1/1/1/2	निजी	असिंचित	0.002	बलिराम पिता ब्रज लाल कोरी
21	6033/1/1/2	निजी	असिंचित	0.002	राकेश पिता रवी कुमार सोनी
22	6033/1/2	निजी	असिंचित	0.003	राकेश पिता रवी कुमार सोनी
Total				1.2497	

[फा. सं. CE-RO-BPL/30010/04/2017-18/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2010(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1976 Dated:01/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of **NH No- 43-Ext-Gulganj – Amanganj – Pawai – Katni Road {KM 0+00 to KM 163.85} in the stretch of land from design KM 108+00 to KM 119+650 (Additional & Missing Plots) in the Panna district in the State of Madhya Pradesh**

And whereas the substance of the said notification has been published in “Patrika Sagar” dated 07/07/2025, “Dainik Bhaskar Satna” dated 07/07/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH No- 43-Ext- Gulganj – Amanganj – Pawai – Katni Road {KM 0+00 to KM 163.85} in the stretch of land from design KM 108+00 to KM 119+650 (Additional & Missing Plots) in the Panna district in the State of Madhya Pradesh

State: MADHYA PRADESH			District: PANNA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pawai					
Village: Pawai					
1	5738	Government	Unirrigated	1.145	Shaskiya
2	6007/1	Private	Unirrigated	0.0035	Gangaram pita Johariya Chamar
3	6007/2	Private	Unirrigated	0.0037	Shambhu pita Johariya Chamar
4	6007/3	Private	Unirrigated	0.0037	Sitaram pita Johariya Chamar
5	6008	Private	Unirrigated	0.013	Raghvendra raj pita Rakesh Kumar Modi
6	6011	Private	Unirrigated	0.0038	Vinod pita Ramchandra Jain
7	6012	Government	Unirrigated	0.019	Shaskiya
8	6031/1/1	Private	Unirrigated	0.0076	Dhruv Bagri Putra Prakash Chandra Bagri
9	6031/1/2	Private	Unirrigated	0.002	Ghasoti pita Sughra Kori
10	6031/2/1	Private	Unirrigated	0.005	Varsha Patni Prakash Chandra Bagri
11	6031/2/2	Private	Unirrigated	0.0006	Gayatri Patni Rakesh Kumar Shrivastava
12	6031/3/1	Private	Unirrigated	0.0044	Ghasoti pita Saghura Chamar
13	6031/3/2	Private	Unirrigated	0.0004	Sumit pita Makundi Chourasiya
14	6032/1/1/2/1	Private	Unirrigated	0.005	Kallu lal pita chandralal kanchi
15	6032/1/1/2/2	Private	Unirrigated	0.003	Siyaram pita Shreeram Lal Badhai

16	6032/1/2/1/2	Private	Unirrigated	0.0045	Ajay kumar putra girdhari Shrivastava
17	6032/1/2/2	Private	Unirrigated	0.004	Bihari putra Darwari lal Vishwakarma
18	6032/1/3/2	Private	Unirrigated	0.0045	Inja Begam Patni Kallu Khan
19	6033/1/1/1/1/1	Private	Unirrigated	0.01	Neelam Singh, Bharti Putri Gandharv singh
20	6033/1/1/1/2	Private	Unirrigated	0.002	Baliram pita Braj lal kori
21	6033/1/1/2	Private	Unirrigated	0.002	Rakesh Pita Ravi kumar soni
22	6033/1/2	Private	Unirrigated	0.003	Rakesh Pita Ravi kumar soni
Total				1.2497	

[F. No. CE-RO-BPL/30010/04/2017-18/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director